

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4278] No. 4278] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 29, 2018/कार्तिक 7, 1940

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 29, 2018/KARTIKA 7, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2018

का.आ. 5483(अ) .—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25), जिसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा संशोधित किया गया है, की धारा 6 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 4 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा प्रोफेसर भरत भास्कर, निदेशक, आईआईएम, रायपुर को प्रोफेसर बी.एस. सहाय, पूर्व निदेशक, आईआईएम रायपुर के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर का सदस्य नामित करती है तथा उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 02 जुलाई, 2013 को भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 2015(अ) के तहत प्रकाशित अधिसूचना संख्या जैड 28016/42/2013-एसएसएच दिनांक 02 जुलाई, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:

"5. प्रोफेसर भरत भास्कर, निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़"

[फा.सं. जैड-28016/166/2015-एसएसएच]

सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मृख्य अधिसुचना दिनांक 2 जुलाई, 2013 के सा.का. 2015 (अ) के तहत भारत के राजपत्र (ई) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2018

S.O.5483(E).— In exercise of powers conferred by Clause (d) of Section 4 read with sub-section (3) of Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Prof. Bharat Bhaskar, Director, IIM Raipur to be member of All India Institute of Medical Sciences, Raipur in place of Prof. B.S. Sahay,

6334 GI/2018 (1)

Former Director, IIM Raipur and for that purpose makes the following amendment in the notification of Government of India in Ministry of Health & Family Welfare, number Z-28016/42/2013-SSH dated the 2^{nd} July, 2013 published in the Gazette of India Part II, section 3, Sub-Section (ii) vide SO 2015 (E) dated the 2^{nd} July, 2013:

In the said notification, for serial number 5 and the entry relating thereto, the following serial number and entry should be substituted, namely:-

"5. Prof. Bharat Bhaskar, Director, Indian Institute of Management, Raipur, Chhattisgarh"

[F. No. Z-28016/166/2015-SSH]

SUNIL SHARMA, Jt. Secy.

Foot Note: The Principal Notification was published in the Gazette of India (E) Vide SO 2015 (E) dated the 2nd July, 2013